बिल का सारांश

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) बिल, 2019

- सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने 12 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) बिल, 2019 पेश किया। यह बिल सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1954 में संशोधन करता है। एक्ट फिल्म प्रदर्शन के सर्टिफिकेशन के लिए प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त एक्ट विभिन्न अपराधों के लिए सजा निर्धारित करता है, जैसे: (i) ऐसी फिल्म का प्रदर्शन जिसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सर्टिफाई नहीं किया गया है, या (ii) सर्टिफाई होने के बाद किसी फिल्म के साथ छेड़छाड़।
- **अनाधिकृत रिकॉर्डिंग**: बिल के अनुसार फिल्म के निर्माता की लिखित अनुमति के बिना कोई व्यक्ति फिल्म की कॉपी बनाने या फिल्म को ट्रांसमिट करने के लिए किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
- बिना अनुमति के फिल्म की कॉपी बनाने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है, या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

विनायक कृष्णन
vinayak@prsindia.org

21 फरवरी, 2019